प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक: 23 मई, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी इरशाद अली उर्फ पप्पू पुत्र श्री रहमत अली, निवासी जनपद-बाराबंकी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-23098/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-24-07-2024) दिनांक-01-08-2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी इरशाद अली उर्फ पप्पू पुत्र श्री रहमत अली, जो ग्राम-नई बस्ती फुलबाग पीर बटावन थाना-कोतवाली नगर, जिला-बाराबंकी का निवासी है। चरित्र पर सन्देह किये जाने के कारण बन्दी ने दिनांक 20.05.2006 को अपने 03 सहअभियुक्त के साथ मिलकर श्रीमती शाकिरा बानों व दोनों बच्चों फैजल (लगभग 04 वर्ष) व शाहिल (लगभग 02 वर्ष) नामक 03 व्यक्तियों की गला घोंटकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एसटी नं0-791/2008, भा0द0वि0 की धारा-498ए व 302/34 के अन्तर्गत मा० अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-13, लखनऊ के आदेश दिनांक 11.06.2014 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 07.04.2024 तक अपरिहार 17 वर्ष, 10 माह, 16 दिन तथा सपरिहार 20 वर्ष, 03 माह, 26 दिन की सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, बाराबंकी द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी के पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, जेल में निरुद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। पुलिस अधीक्षक बाराबंकी द्वारा बंदी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने तथा बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक, दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि चरित्र पर सन्देह किये जाने के कारण बन्दी द्वारा दिनांक 20.05.2006 को अपने 03 सहअभियुक्त के साथ मिलकर श्रीमती शाकिरा बानों व दोनों बच्चों फैजल (उम्र लगभग 04 वर्ष) व शाहिल (उम्र लगभग 02 वर्ष) नामक 03 व्यक्तियों की गला घोंटकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी इरशाद अली उर्फ पप्पू पुत्र श्री रहमत अली को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

5- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी इरशाद अली उर्फ पप्पू पुत्र (बन्दी संख्या-397/2023) पुत्र श्री रहमत अली, निवासी जनपद-बाराबंकी को यू०पी० प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-482/2025/1202(1)/22-2-2024 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बाराबंकी।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रि0) सं0-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन(क्रिमि0) सं0-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-482/2025/1202/22-2-2024-17(569)/2024

दिनांक: 23 मई, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी इरशाद अली उर्फ पप्पू पुत्र श्री रहमत अली, जो ग्राम-नई बस्ती फुलबाग पीर बटावन थाना-कोतवाली नगर, जिला-बाराबंकी का निवासी है। चरित्र पर सन्देह किये जाने के कारण बन्दी ने दिनांक 20.05.2006 को अपने 03 सहअभियुक्त के साथ मिलकर श्रीमती शाकिरा बानों व दोनों बच्चों फैजल (लगभग 04 वर्ष) व शाहिल (लगभग 02 वर्ष) नामक 03 व्यक्तियों की गला घोंटकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एसटी नं0-791/2008, भा0द0वि0 की धारा-498ए व 302/34 के अन्तर्गत मा० अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-13, लखनऊ के आदेश दिनांक 11.06.2014 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 07.04.2024 तक अपरिहार 17 वर्ष, 10 माह, 16 दिन तथा सपरिहार 20 वर्ष, 03 माह, 26 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, बाराबंकी द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी के पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, जेल में निरुद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। पुलिस अधीक्षक बाराबंकी द्वारा बंदी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने तथा बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक, दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि चरित्र पर सन्देह किये जाने के कारण बन्दी द्वारा दिनांक 20.05.2006 को अपने 03 सहअभियुक्त के साथ मिलकर श्रीमती शाकिरा बानों व दोनों बच्चों फैजल (उम्र लगभग 04 वर्ष) व शाहिल (उम्र लगभग 02 वर्ष) नामक 03 व्यक्तियों की गला घोंटकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी इरशाद अली उर्फ पप्पू पुत्र श्री रहमत अली को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।